



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1944 (श10)

(सं0 पटना 1034) पटना, बुधवार, 30 नवम्बर 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

30 नवम्बर 2022

सं0 3/एम०-78/2022/21262—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता हासिल करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह नियमावली 'बिहार सरकारी सेवक (कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा) नियमावली, 2022' कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
- (4) यह मात्र बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग (कनीय अभियंता सहित) के कर्मी एवं अन्य सेवा/संवर्ग के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो, पर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में-

- (क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
- (ख) 'बिपार्ड' से अभिप्रेत है, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान;
- (ग) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
- (घ) 'परीक्षा' से अभिप्रेत है, कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा।

3. कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा।-

- (क) बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग (कनीय अभियंता सहित) के कर्मी एवं अन्य सेवा/संवर्ग के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो, को उनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में किसी अन्यथा प्रावधान के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक सेवा/संवर्ग में सम्पुष्टि के लिए बिपार्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- (ख) जिन सरकारी सेवकों की सेवा पूर्व से ही सम्पुष्ट हो, परन्तु उन्हें अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, को अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए बिपार्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (ग) वेतन वृद्धि पर ऐसी रोक ऐसी उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक रहेगी। प्रमाण-पत्र समर्पित होने पर भूतलक्षी प्रभाव से देय वेतनवृद्धि आर्थिक लाभ सहित अनुमान्य हो जायेगी।
- (घ) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी उम्र में छूट का कोई प्रावधान यदि किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में की गयी हो तो वह प्रभावी रहेगा। "बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018" के प्रावधान कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा के संदर्भ में भी प्रभावी होंगे।
- (ङ) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के विषय-कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान (कोड-02) पत्र की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (च) नियत तिथि के पूर्व जिन सरकारी सेवकों द्वारा डी0ओ0ई0ए0सी0सी0/ NIELIT द्वारा आयोजित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की गयी हो, उन्हें अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (छ) कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जैसा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा विभागीय परीक्षा के विषय-कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान (कोड-02) पत्र का पाठ्यक्रम निर्धारित है।
- (ज) कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं परीक्षा का आयोजन बिपार्ड द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का निर्धारण बिपार्ड द्वारा किया जायेगा।
- (झ) सरकारी सेवक बिपार्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त परीक्षा दे सकेंगे। परन्तु सरकारी कर्मी बिना प्रशिक्षण के भी सीधे परीक्षा में बैठ सकेंगे।

4. **अभिभावी प्रभाव।**— राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

4. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—

- (i) राज्य सरकार की प्रासंगिक सेवा/संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधान निरसित समझे जायेंगे।
- (ii) एतद् द्वारा "बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011" निरसित किया जाता है।
- (iii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

30 नवम्बर 2022

सं० 3/एम०-78/2022/21263, सं० 3/एम०-78/2022/21262 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

The 30 November 2022

No. 3/M- 78 /2022/21262—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules for attaining computer competency by the employees of the State Government—

1. Short title, extent & commencement.—

- (1) These Rules may be called the Bihar Government Servants (Computer Competency Test Examination) Rules, 2022.
- (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.
- (4) It shall be applicable to the Assistant of Bihar Secretariat Service, employees of Supervisory cadres (including Junior Engineer) and those employees of other services/cadres, where there is a provision of passing in computer competency test examination in their respective service/cadres rules.

2. Definitions.— In these Rules -

- (a) 'State Government' means, Bihar State Government;
- (b) 'BIPARD' means, Bihar Public Administration and Rural Development Institute;
- (c) 'Due date' means, the date of commencement of these rules;
- (d) 'Examination' means, Computer Competency Test Examination.

3. Computer Competency Test Examination.—

- (a) Assistant of Bihar Secretariat Service, employees of Supervisory cadres (including Junior Engineer) and those employees of other services/cadres, where there is a provision of passing in computer competency test examination in their respective service/cadres rules, shall, notwithstanding any other provision contained in respective service/ cadre Rules, have to pass in computer competency test examination conducted by Bipard.
- (b) The employees, whose services has already been confirmed but are required to pass the computer competency test examination for getting next annual increment, have to pass the Computer Competency Test Examination conducted by Bipard to have the next annual increment.
- (c) Such withholding of increment shall be effective till the passing in the examination. The withheld increments will be released with arrears after submission of certificate of passing of examination.
- (d) Notwithstanding above provisions, the provision of relaxation in passing of examination at a certain age in respective service/cadre rules shall remain effective. The provisions of "Bihar Government Servant Exemption from passing of Departmental Examination Rules, 2018" shall remain applicable to this examination also.
- (e) It shall not be necessary to pass this examination by those employees who have already passed in subject- Functional knowledge of Computer (Code-02) of the departmental examination conducted by Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar.
- (f) It shall not be necessary to pass this examination by those employees who have already passed the Computer Competency Test Examination conducted by DOEACC / NIELIT.

- (g) The syllabus of this examination will be same as the syllabus of subject-Functional knowledge of Computer (Code-02) of the departmental examination conducted by Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar.
- (h) Bipard will make arrangement for training for this examination and its conductance. Training fee and examination fee will determined by Bipard.
- (i) Government employees will appear in the examination after taking training. But Government employees may appear in the examination even without taking training.

4. Overriding effect.— Notwithstanding any provision contained contrary to the provision of these Rules, in a Service/Cadre Rules of the State Government the provision of these Rules shall have overriding effect.

5. Repeal and Savings.—

- (i) The relevant provision of respective service/ cadre Rules shall be deemed to be repealed.
- (ii) The Bihar Government Servants (Computer Competency for recruitment and confirmation) Rules, 2011.
- (iii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said Rules shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the power conferred by or under these Rules.

By the order of the Governor of Bihar,
GUFRAN AHMAD,
Deputy Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1034-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>